न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 20/2020

अपीलान्ट्स

1. श्रीमती जमना कंवर पत्नी श्री मगसिंह राजपूत
2. प्रेम कंवर पत्नी रूपसिंह राजपूत
3. मगसिंह पुत्र श्री पेपसिंह
4. सागसिंह पुत्र श्री नगसिंह
5. रामसिंह पुत्र श्री नगसिंह
6. चन्द्रकंवर पत्नी श्री पन्नेसिंह

   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण ग्राम लोडता अचलावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. लाधूसिंह पुत्र धन्नसिंह, जाति राजपूत, निवासी लोडता अचलावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.01.2020 जो राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 15/2019 अनवान लाधूसिंह बनाम जमना कंवर वगैरा में तहसीलदार बालेसर द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट्स की ओर से अभिभाषक श्री लाघूराम पूनिया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट एक की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :–**03.07.2020**

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.01.2020 जो राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 15/2019 अनवान लाधूसिंह बनाम जमना कंवर वगैरा में तहसीलदार बालेसर द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है।

जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत लोडता के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र बाबत् रास्ता खुलवाने के लिये इस आशय का पेश किया कि ग्राम लोडता अचलावता तहसील बालेसर के खसरा संख्या 471 में

कटाणी रास्ता चल रहा है जिसको मगसिंह, रूपसिंह पुत्र पेपसिंह ने दो माह पहले बन्द कर दिया, उक्त रास्ते को खुलवाया जाये। उक्त प्रार्थना–पत्र को सरपंच ने तहसीलदार बालेसर को दिनांक 15.10.2019 को प्रेषित कर दिया। उसके बाद तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना–पत्र को दिनांक 30.12.2019 को दर्ज कर पटवारी हल्का लोडता अचलावता से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश देकर पत्रावली 08.01.2020 को रखी गई। पटवारी की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार बालेसर ने दिनांक 08.01.2020 को अपीलार्थीगण के खेत खसरा संख्या 471 में से पुलिस इमदाद से रास्ता खोलने का आदेश भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को दिया, इससे व्यथित होकर यह राजस्व अपील पेश की है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 01.07.2020 को सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

अपीलान्ट अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश करते हुए कथन किया कि तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 08.01.2020 को जो आदेश पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट्स को कार्यवाही के सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हुई। अपीलार्थीगण को पहली बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 17.06.2020 को हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थीगण के खेत में रास्ता खोलने का आदेश उसके पास आने की बात बताई, तब हुई। उस पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.06.2020 को ही तहसील बालेसर जाकर इसका पता कर नकल के लिये आवेदन किया, जिस पर नकल तैयार होकर उसी दिन मिल गई। जिससे अपीलार्थी को उसकी पूर्ण जानकारी हुई। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से मियाद बिन्दु बाबत् कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया गया। अतः न्यायहित में अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 08.01.2020 को पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी/अप्रार्थी को कार्यवाही के सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया गया तथा इसके पश्चात पटवारी हल्का ने मौके पर आकर भूमि खसरा संख्या 471 के खातेदारान् को नोटिस देकर मौका फर्द नहीं बनवायी। तहसीलदार बालेसर ने पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थीगण खातेदारान् से जवाब व उजर एतराज प्राप्त किये बिना एक पक्षीय विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार बालेसर को कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रभावित पक्षकार (भूमि के खातेदार) को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी प्रकार का आदेश दिये जाने का कोई क्षेत्राधिकार कानूनी नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने खेत खसरा संख्या 472 व 474 के लिए रास्ता खसरा संख्या 420/2 में होना बताकर एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलार्थी मगसिंह व रूपसिंह के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो पत्रावली दिनांक 25.07.2019 को खारिज हो गई। अब दूसरा प्रार्थना–पत्र अपीलार्थीगण के विरूद्ध अपीलार्थी के खेत खसरा संख्या 471 में रास्ता होने का कहकर प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने अपीलार्थीगण/अप्रार्थी को सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी के खेत खसरा संख्या 472 व 474 में जाने का वैकल्पिक मार्ग कदीम से उसके पडौसी खसरा संख्या 475 राजीव गांधी लिफ्ट नहर के समानान्तर चलने वाली सड़क से है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थीगण को केवल परेशान करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र खसरा संख्या 471 को कटाणी रास्ता बताकर प्रस्तुत किया है, जिसमें धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने न्यायिक निर्णय नजीर आर0 आर0 डी0 1973 पेश कर कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत किसी भी प्रभावित खातेदार को पक्षकार बनाना व सुनना जरूरी है। प्रभावित पक्षकार के मौखिक बयान व उसको पक्ष रखने का समुचित अवसर देना जरूरी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सुखाचार के तहत रास्ता खुलवाने के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी कई वर्षो से अपने खेत खसरा संख्या 472 व 473 में जाने के लिए खसरा संख्या 471 में से चल रहे कटाणी रास्ते का उपयोग कर रहा था। जिस रास्ते को उक्त खसरे के खातेदार मगसिंह, रूपसिंह द्वारा बन्द कर दिया गया इस कारण प्रत्यर्थी को सुखाचार के तहत रास्ता खुलवाने का प्रार्थना–पत्र मजबुरन पेश करना पडा। जिस पर तहसीलदार बालेसर द्वारा दर्ज कर पटवारी लोडता अचलावता से प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड की रिपोर्ट चाही गई। पटवारी ने नियमानुसार तहसीलदार के आदेशानुसार मौका फर्द पेश की। जिसमे स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम लोडता अचलावता के खसरा नं0 472 में जाने हेतु चल रहे सुखाचार का रास्ता जो खसरा नं0 471 में से जाता था। मौके पर आज दिनांक 07.01.2020 को पहुचां, मौके पर वर्तमान में प्रार्थी लाधूसिंह पुत्र धनसिंह के खसरा नं0 472 व 473 में जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिससे अप्रार्थी के खेत में काश्त नहीं हो पाई। उपस्थित मौतबिरान् ने बताया कि कई वर्षो से प्रार्थी डामर सड़क से खसरा नं0 471 की उत्तरी माठ व खसरा संख्या 420 की दक्षिणी माठ पर खसरा संख्या 471 में से आवागमन करते थे जो अब पूर्णतया बन्द कर दिया गया है। तहसीलदार महोदय ने सुखाचार के तहत विधि के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि पटवारी की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के खेत खसरा संख्या 472 व 473 में जाने का कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है। जब कोई कोई भी वैकल्पिक मार्ग न हो तो कृषक

अपने खेत में जाने के लिये दूसरे कृषक की खोतदारी भूमि से जाने का अधिकार रखता है क्योंकि पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास अपने खेत में जाने के लिए खसरा संख्या 471 में से जाने के अलावा कोई भी वैकल्पिक मार्ग नही है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत प्रभावित पक्षकार को सुनना जरूरी है लेकिन प्रार्थी/प्रत्यर्थी ने सुखाचार के तहत रास्ता खुलवाने के लिये प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिसमें पक्षकार को सुनना जरूरी नहीं है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर पहले से डामर रोड थी जिसे खसरा संख्या 471 के खातेदारों द्वारा अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रत्यर्थी ने एक प्रार्थना–पत्र सुखाचार के तहत रास्ता खुलवाने बाबत पेश किया। जिस पर तहसीलदार बालेसर ने कार्यवाही करते हुए। पटवारी हल्का लोडता अचलावता से प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड की मौका रिपोर्ट तलब की। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 08.01.2020 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट/अप्रार्थी को सनुवाई का नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके की वास्तविक रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय होने तक खसरा संख्या 472 व 473 में जो रास्ता खसरा नम्बर 471 में से होकर जाता है यथावत रहेगा। खसरा संख्या 471 के खातेदार किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.08.06 10:50:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: